(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:- (1) Joint Secretary (Establishment), Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy – Chairman (2) Adviser or Joint Adviser (Ayurveda), Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy – Member (3) Director or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy – Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12024/1/2010-E-I (AYUSH) (Vol. IV)]

YASH VEER SINGH, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रशिक्षण सह मार्गदर्शन केंद्र (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 जहां तक इनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-III, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, दफ्तरी, चपरासी/संदेशवाहक, सफाई वाला सह चौकीदार, के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र में आशुलिपिक श्रेणी-।।।, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और बहु-कार्य कर्मचरिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**: ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदिः—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त/पूर्वोक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आशुलिपिक श्रेणी-II	13* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित सचिवीय	स्तर-4 (25,500-81,100/रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणः-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) कौशल प्रशिक्षण मानकः श्रुतलेखः 10 मिनट प्रति मिनटः 80 शब्द अनुलिपिकरणः कंप्यूटर पर अंग्रेजी के लिए 50 मिनट या हिंदी के लिए 65 मिनट

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पणः** दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, शामिल होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण –** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या मध्यन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गई अर्हताए रखते हों और नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक रोजगार महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. रोजगार उप निदेशक या रोजगार सहायक निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य 3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	20* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित सचिवीय	स्तर-4 (25,500 - 81,100/- रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)
प्रोन्नतिः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के स्तर – 2 (19,900-63,200 रु.) में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में उस श्रेणी में आठ साल की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) जिन्होंने स्तर – 2 (19,900-63,200 रु.) में अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक रोजगार महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. रोजगार उप निदेशक या रोजगार सहायक निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य 3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अवर श्रेणी लिपिक	21* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित सचिवीय	स्तर-2 (19,900-63,200/रु.)	उचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 10,500 कुंजी दाब प्रति घंटा (केडीपीएच) या प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दाब पर 9000 केडीपीएच के तय समय 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट

(8)	(9)	(10)
शैक्षिक अर्हता: हाँ, विभागीय परीक्षा के लिए। नहीं , प्रोन्नति के लिए। आयु: प्रोन्नति के लिए नहीं। अधिकतम 45 वर्ष, केवल विभागीय परीक्षा के लिए।	दो वर्ष **टिप्पण:** दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक किया हो शामिल होगा।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) रिक्तियों का 10 प्रतिशत स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र रखते हों, और उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी। परीक्षा के लिए अर्हता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

		(iii) रिक्तियों का 5 प्रतिशत बहु कर्मचारीवृंद समूह 'ग' से जिन्होंने स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) में पद पर तीन साल की नियमित सेवा की हो ज्येष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरी जाएगी। **टिप्पणः** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी आधिक संख्या पर पश्चात् भर्ती वर्षों में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले जो बाद वाली परीक्षा अर्हता प्राप्त करते हैं, विचार किया जा सके।

(11)
प्रोन्नतिः- (i) विभागीय परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' में से जो 12वीं कक्षा उतीर्ण का प्रमाणपत्र रखते हों और स्तर – 1 (18,000-56,900 रु.) में तीन साल की नियमित सेवा की हो। (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के बहु कार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, जिनका रिक्तियों से संबंध है जिन्होंने स्तर -1 (18,000-56,900 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक रोजगार महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. रोजगार उप निदेशक या रोजगार सहायक निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य 3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक रोजगार महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. रोजगार उप निदेशक या रोजगार सहायक निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य 3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. बहु कार्य कर्मचारीवृद	37* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-1 (18,000-56,900/रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणः** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पणः** दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक किया हो, शामिल होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या मध्यन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं रखते हों और नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक रोजगार महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. रोजगार उप निदेशक या रोजगार सहायक निदेशक, रोजगार महानिदेशालय - सदस्य 3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीजीई-ए-12018/01/2017-ईई-III]

सीता राम, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT)

New Delhi, the 4th June, 2018

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coaching-cum-Guidance Centre (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2004 in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade-III, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Daftry, Peon/Messenger, Sweeper-cum-Chowkidar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff in the National Career Service Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment, National Career Service Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in pay matrix. -** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications etc., and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Stenographer Grade II.	13* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100/).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12^{th} class pass from a recognised Board; (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. **Transcription:** 50 minutes for English or 65 minutes for Hindi on Computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years. **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director of Employment or Joint Director of Employment, Directorate General of Employment - Chairman (2) Deputy Director of Employment or Assistant Director of Employment, Directorate General of Employment - Member (3) Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes under Directorate General of Employment - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Upper Division Clerk.	20* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100/-).	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Lower Division Clerk in level-2 (Rs.19900-63200/-) of the National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes with eight years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government, (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in Level-2 (Rs.19900-63200/-) or equivalent. **Note 1:** The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director of Employment or Joint Director of Employment, Directorate General of Employment - Chairman (2) Deputy Director of Employment or Assistant Director of Employment, Directorate General of Employment - Member (3) Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes under Directorate General of Employment - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lower Division Clerk.	21* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200/-).	Non-Selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class pass from a recognized Board; (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour (kdph) or 9000 kdph on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)
Educational Qualification: Yes, for departmental examination. No, for promotion. **Age:** Maximum forty-five years for departmental examination but no for promotion.	Two years. **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Multi-Tasking Staff in level-1 (Rs.18000-56900/-) and who possess 12th class pass certificate and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty-five years. **Note:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' Multi-Tasking Staffs who have rendered three years regular service in posts in level 1 (Rs.18000-56900/-).	**Promotion:** (i) For departmental examination from amongst the Group 'C' Multi-Tasking Staff of the National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes who possess 12th class pass certificate and have rendered three years regular service in Level-1 (Rs.18000-56900/-). (ii) For seniority-cum-fitness basis from Group 'C' Multi-Tasking Staff of the National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes to which the vacancy belongs who have rendered three years regular service in Level-1 (Rs.18000-56900/-).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director of Employment or Joint Director of Employment, Directorate General of Employment - Chairman (2) Deputy Director of Employment or Assistant Director of Employment, Directorate General of Employment - Member (3) Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes under Directorate General of Employment - Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director of Employment or Joint Director of Employment, Directorate General of Employment - Chairman (2) Deputy Director of Employment or Assistant Director of Employment, Directorate General of Employment - Member (3) Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes under Directorate General of Employment - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Multi-Tasking Staff.	37* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000 – 56900/).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	10th class pass from a recognised Board.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two Years. **Note :** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director of Employment or Joint Director of Employment, Directorate General of Employment - Chairman (2) Deputy Director of Employment or Assistant Director of Employment, Directorate General of Employment - Member (3) Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for Schedule Castes /Scheduled Tribes under Directorate General of Employment - Member	Not applicable.

[F. No. DGE-A-12018/01/2017-EE-III]

SITA RAM, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.